

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2014/चैत्र 7, 1936

No. 162]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2014/CHAITRA 7, 1936

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2014

सा.का.नि. 219(अ).—केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर बचत बैंक साधारण (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है के नियम 2 के खंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(ब) "कोर बैंककारी समाधान मंच के साथ डाकघर" से कोर बैंककारी समाधान सॉफ्टवेयर पर कार्य करने वाला डाकघर अभिप्रेत है।

3. उक्त नियमों के नियम 4 में उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(5) कोर बैंककारी समाधान मंच के साथ डाकघर में किसी खाते में विहित सीमाओं के भीतर और ऐसी फीस का संदाय करने पर जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विहित करे, किसी अन्य कोर बैंककारी समाधान मंच के साथ डाकघर में जमा किया जा सकेगा।"

4. उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (4) के खंड (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) "(च) कोर बैंककारी समाधान मंच के साथ डाकघर में किसी खाते में निक्षेप इलेक्ट्रानिकी ढंग से जमा किया जा सकेगा।"

(ii) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) कोर बैंककारी समाधान मंच के साथ डाकघर में प्रत्येक जमा के साथ संदाय पर्ची संलग्न होगी, जमा किसी इलेक्ट्रानिकी ढंग से स्वीकार किया जाएगा।"

5. उक्त नियमों के नियम 6 के उपनियम (3) के खंड (i) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(ii) "किसी स्थान में कोर बैंककारी समाधान मंच के साथ डाकघर में किसी खाते के होने की दशा में, डाकघर बचत बैंक जमाकर्ता के अनुरोध पर या अन्यथा ऐसी फीस का संदाय करने पर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, बचत खाता धारक को स्वचालित गणक मशीन या डेबिट कार्ड जारी करेगा और खाता धारक कोर बैंककारी समाधान मंच के साथ डाकघर में खाता होने पर किसी इलेक्ट्रानिक ढंग का उपयोग करके धन निकाल सकेगा।"

6. उक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (i) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(i) कोर बैंककारी समाधान मंच के साथ कार्य कर रहे डाकघर में, खाते का विवरण ग्राहक के विकल्प पर, ऐसी फीस का संदाय करने पर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पास बुक के स्थान पर खाते का विवरण जारी किया जा सकेगा।"

"परंतु यह और कि पास बुक या खाते के विवरण में उपदर्शित शेष और संव्यवहार जमाकर्ता की सूचना के लिए होंगे।"

(ii) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) पटल पर किए जाने वाली सभी निकासियों या जमा के लिए साधारणतया पास बुक प्रस्तुत की जाएगी और चैक या किसी इलेक्ट्रानिकी ढंग का उपयोग करके किए जाने वाले जमा या निकासियों के लिए पास बुक, जहां भी जारी की जाती है डाकघर बचत बैंकों को तत्पश्चात् उसे अद्यतन करने के लिए यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाएगी।"

7. उक्त नियमों के नियम 15 के खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(क) किसी जमाकर्ता को किसी व्यक्ति द्वारा निक्षेपकर्ता की पास बुक या स्वचालित गणक मशीन या डेबिट कार्ड या चैक बुक से चैक के माध्यम से या निकासी के किसी इलेक्ट्रानिक ढंग का उपयोग करके कपटपूर्ण निकासी के लिए उत्तरदायी।"

[फा.सं. 2/7/2012-/एनएस-II]

रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

टिप्पण - मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 662(अ) तारीख 17 दिसम्बर, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 348(अ), तारीख 10 मई, 2002 और सा.का.नि. सं. 586(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2014

G.S.R. 219(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Bank General Rules, 1981, namely :—

1. (1) These rules may be called the Post Office Savings Bank General (Amendment) Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Post Office Savings Bank General Rules, 1981, hereinafter referred to as the said Rules in Rule 2, after clause (v), the following clause shall be inserted, namely:—
(w) “Post Office with Core Banking Solution platform” means Post Office Savings Bank working on Core Banking Solution software.
3. In the said Rules, in Rule 4, after Sub-Rule (4), the following Sub-Rule shall be inserted, namely:—
“(5) In case, of an account standing at any Post Office with Core Banking Solution platform, deposit may be made at any other post office with Core banking Solution platform within the limits prescribed and by paying such fee as may be specified by the Central Government by notification in the official Gazette.
4. In the said Rules, in Rules 5, in sub-rule (1), after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:—
(i) “(f) in the accounts standing in post offices with Core Banking Solution platform, the deposit may be made by any electronic mode.”
(ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted namely:—
“(2) Each deposit shall be accompanied by a pay-in-slip provided that at any Post Office on Core Banking Solution platform, the deposit shall be accepted by any electronic mode.”
5. In the said rules, in rule 6, sub-rule (3) shall be numbered as clause (i) thereof and after clause (i) as so numbered,
The following clause shall be inserted namely:—
(ii) “In case of an account standing at any post office with Core Banking Solution platform in place, the Post Office Savings Bank shall on the request from the depositor or otherwise may issue Automated Teller Machine or debit card to the savings account holder on payment of such fee as may be specified by the Central Government by notification in the official Gazette” and the account holder having account in Post Offices with Core Banking Solution Platform may also withdraw money by using any electronic mode.”
6. In the said Rules, in Rule 8 in sub-rule (i), the following provisos shall be inserted, namely:—
(i) “Provided that in post offices working on Core Banking Solution platform, a statement of account may be issued in lieu of passbook at the option of the customer on payment of such fees specified by the Central Government by notification in the official Gazette.”
“Provided further that balance and transactions shown in the Passbook or statement of account shall be for the information of the depositor.”
(ii) for sub rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely :—
“(4) The passbook shall ordinarily be presented for all withdrawals or deposits made at the counter **and** in case, deposits or withdrawals are made by using cheque or any electronic mode, the passbook, wherever issued, may be presented to the Post Office Savings Bank as soon as possible thereafter for bringing it up-to-date.”
7. In the said rules, in rule 15, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—
“(a) responsible to a depositor for any fraudulent withdrawal by a person obtaining possession of the passbook or Automated Teller Machine or Debit card or a cheque from the cheque book of the depositor or by using any electronic mode of withdrawal.”

[F. No. 2/7/2012/NS-II]

RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 662(E), dated the 17th December, 1981, and subsequently amended vide numbers G.S.R. 348(E) dated the 10th May, 2002 and G.S.R. 586(E) dated the 25th July, 2003.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2014

सा.का.नि. 220(अ).—केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाकघर बचत खाता नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर बचत खाता (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर बचत खाता नियम, 1981 के नियम 9 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) जब ब्याज के संदाय का अवलंब नहीं लिया जाता है और किसी खाते को बंद करने पर कोर बैंककारी समाधान मंच के साथ डाकघर में अंतिम निकासी की जाती है तो किसी उपबचत बैंक द्वारा बचत बैंक प्रभारी से पूर्व स्वीकृति अभिप्राप्त किए बिना खाता बंद करने पर ऐसी निकासी अनुज्ञात की जा सकेगी।"

[फा. सं. 2/7/2012-एनएस-II]

रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

टिप्पण—मूल नियम, सा.का.नि. 663(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् इनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

सा.का.नि. 8(अ), तारीख 2 फरवरी, 1987, सा.का.नि. 948(अ), तारीख 2 दिसंबर, 1987, सा.का.नि. 5(अ), तारीख 5 जनवरी, 1989, सा.का.नि. 430(अ), तारीख 6 अप्रैल, 1989, सा.का.नि. 695(अ), तारीख 17 जुलाई, 1989, सा.का.नि. 813(अ), तारीख 4 सितंबर, 1989, सा.का.नि. 1001(अ), तारीख 8 नवंबर, 1989, सा.का.नि. 499(अ), तारीख 8 जुलाई, 1993, सा.का.नि. 165(अ), तारीख 28 फरवरी, 2000, सा.का.नि. 349(अ), तारीख 10 मई, 20--, सा.का.नि. 431(अ), तारीख 14 जून, 2002, सा.का.नि. 587(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 286(अ), तारीख 13 मई, 2005, सा.का.नि. 509(अ), तारीख 27 जुलाई, 2005, सा.का.नि. 481(अ), तारीख 11 जुलाई, 2007, सा.का.नि. 478(अ), तारीख 26 जून, 2008, सा.का.नि. 611(अ) तारीख 26 अगस्त, 2008, सा.का.नि. 748 (अ) तारीख 13 अक्तूबर, 2009, सा.का.नि. 882 (अ) तारीख 3 नवंबर, 2010; सा.का.नि. 926 (अ) तारीख 24 दिसंबर, 2012 और सा.का.नि. 323(अ), तारीख 20 मई, 2013।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2014

G.S.R. 220(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Account Rules, 1981, namely:—

- (1) These rules may be called the Post Office Savings Account (Amendment) Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Post Office Savings Account Rules, 1981, in Rule 9, for sub-rule (2) the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(2) When payment of interest is not involved and when final withdrawal on closure of an Account is made at Post Offices on Core Banking Solution platform, such withdrawal on closure may be allowed by a Sub-Savings Bank without obtaining the prior sanction of the Head Savings Bank.”

F. No. 2/7/2012/NS-II]

RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 663 (E), dated the 17th December, 1981, and subsequently amended *vide* numbers G.S.R.8 (E), dated the 2nd February, 1987, G.S.R. 948 (E), dated the 2nd December, 1984; G.S.R. 5 (E), dated the 5th January, 1989; G.S.R. 430 (E), dated the 6th April, 1989; G.S.R. 695 (E), dated the 17th July, 1989; G.S.R. 813(E), dated the 4th September, 1989; G.S.R. 1001 (E), dated the 8th November, 1989; G.S.R. 499 (E), dated the 8th July, 1993; G.S.R. 165 (E), dated the 28th February, 2000; G.S.R. 349 (E) dated the 10th May, 2002; G.S.R. 431 (E), dated the 14th June, 2002; G.S.R. 587 (E) dated the 25th July, 2003; G.S.R. 286 (E), dated the 13th May, 2005; G.S.R. 509 (E), dated the 27th July, 2005; G.S.R. 481 (E), dated the 11th July, 2007; G.S.R. 478 (E), dated the 26th June, 2008, G.S.R. 611 (E), dated the 26th August, 2008; G.S.R. 748 (E), dated the 13th October, 2009; G.S.R. 882 (E), dated the 3rd November, 2010; G.S.R. 926 (E), dated the 24th December, 2012 and G.S.R. 323 (E), dated the 20th May, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2014

सा.का.नि. 221(अ).—केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाकघर सावधिक संचयी जमा नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर सावधिक संचयी नियम (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर सावधिक जमा नियम, 1981 में,

(i) नियम 6 के उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) किसी चैक, पे आर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किए जाने की दशा में डाकघर बचत बैंक द्वारा उसके समाशोधन की तारीख, जमा की तारीख मानी जाएगी।"

(ii) नियम 7 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"नियम 7 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:—

"(2) चार से अधिक व्यतिक्रमों की दशा में खाते को बंद किया हुआ माना जाएगा और खाते का पुनः आरंभ पांचवे व्यतिक्रम के मास से दो मास की अवधि के भीतर अनुज्ञात किया जाएगा और यदि जमाकर्ता नियम 6 के उप-नियम (3) में विहित समय के भीतर अगला मासिक जमा, जमा करने में असफल रहता है तो प्रति व्यतिक्रम जमाओं के लिए प्रत्येक पांच रुपये पर पांच पैसे की दर से व्यतिक्रम फीस का भी नियमित मासिक जमा के साथ संदाय किया जाएगा।

(3) कोई खाता जिसमें विहित व्यतिक्रम फीस के साथ और उप-नियम (2) में यथा विहित अवधि के भीतर सभी व्यतिक्रम जमा, जमा किए जाते हैं, को बंद किया गया नहीं माना जाएगा:

परंतु उप-नियम (1) और उप-नियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी रक्षा सेवा (सिविलियन रक्षा कर्मचारियों को छोड़कर) कार्मिकों की दशा में,—

(i) मासिक जमा में सात से अनधिक व्यतिक्रमों की दशा में, जमाकर्ता अपने विकल्प पर परिपक्वता अवधि को उतने मास से जितने व्यतिक्रमों की संख्या है बढ़ा सकेगा और विस्तारित अवधि के दौरान व्यतिक्रम के जमा को जमा कर सकेगा।"

(ii) यदि मासिक जमा में सात से अधिक व्यतिक्रम हैं तो खाते को बंद किया गया माना जाएगा और खाते को पुनः आरंभ करना केवल आठवें व्यतिक्रम के मास से दो मास की अवधि के भीतर व्यतिक्रम फीस और व्यतिक्रम के जमा के संदाय के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जाएगा।"

[फा. सं. 2/7/2012-एनएस-II]

रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

टिप्पण - मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 666(अ), तारीख 17 दिसम्बर, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 301(अ), तारीख 1 अप्रैल, 1982, सा.का.नि. 258(अ), तारीख 11 मार्च, 1983, सा.का.नि. 62(अ), तारीख 14 फरवरी, 1984, सा.का.नि. 95(अ), तारीख 7 फरवरी, 1986, सा.का.नि. 194(अ), तारीख 13 फरवरी, 1986, सा.का.नि. 363(अ), तारीख 1 अप्रैल, 1987, सा.का.नि. 39(अ), तारीख 16 जनवरी, 1988, सा.का.नि. 458(अ), तारीख 15 अप्रैल, 1988, सा.का.नि. 708(अ), तारीख 21 जुलाई, 1989, सा.का.नि. 16 (अ), तारीख 9 जनवरी, 1990, सा.का.नि. 190(अ), तारीख 27 मार्च, 1991, सा.का.नि. 579(अ), तारीख 12 सितंबर, 1991, सा.का.नि. 918(अ), तारीख 11 दिसंबर, 1992, सा.का.नि. 42(अ), तारीख 1 फरवरी, 1993, सा.का.नि. 587(अ), तारीख 2 सितंबर, 1993, सा.का.नि. 2(अ), तारीख 1 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 748(अ), तारीख 4 नवंबर, 1999, सा.का.नि. 44 (अ), तारीख 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 152 (अ), तारीख 1 मार्च, 2001, सा.का.नि. 160(अ), तारीख 1 मार्च, 2002; सा.का.नि. 514 (अ) तारीख 23 जुलाई, 2002, सा.का.नि. 662 (अ) तारीख 23 सितंबर, 2002, सा.का.नि. 175(अ), तारीख 1 मार्च, 2003, सा.का.नि. 588(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 838(अ), तारीख 27 दिसंबर, 2004, सा.का.नि. 480(अ), तारीख 26 जून, 2008, सा.का.नि. 740(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2011, सा.का.नि. 843(अ), तारीख 25 नवंबर, 2011, जुलाई, 2011, सा.का.नि. 320(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2012 और सा.का.नि. 398(अ), तारीख 25 जून, 2013 द्वारा किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2014

G.S.R. 221(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Recurring Deposit Rules, 1981, namely:—

1. (1) These rules may be called the Post Office Recurring Deposit (Amendment) Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Post Office Recurring Deposit Rules, 1981,
 - (i) in rule 6, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
“(4) Where a deposit is made by means of a cheque, pay order or demand draft, the date of its clearance into the Post Office Savings Bank shall be deemed to be the date of deposit.”
 - (ii) in Rule 7, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—sub-rule (2) of Rule 7 shall be substituted by the followings:—
“(2) If there are more than four defaults, the account shall be treated as discontinued and revival of the account shall be permitted only within a period of two months from the month of fifth

default and in case a depositor fails to deposit next monthly deposit within the time prescribed in sub-rule (3) of rule 6, a default fee at the rate of five paise for every five rupee per defaulted deposits shall also be paid along with regular monthly deposit.

(3) An account, in which all defaulted deposits are deposited with prescribed default fee and prescribed time as specified in sub-rule (2) shall not be treated as discontinued.

“Provided that notwithstanding anything contained in sub-rule (1), sub-rule (2) in the case of personal of Defence Services (excluding Civilian Defence Employees).

(i) if there are not more than seven defaults in the monthly deposits, the depositor may, at his option, extend the maturity period of the account by as many months as the number of defaults and deposit the defaulted deposits during the extended period.”

(ii) “If there are more than seven defaults in the monthly deposits, the account shall be treated as discontinued and the revival of the account shall be permitted only within a period of two months from the month of eighth default, subject to payment of default fee and defaulted deposits.

[F. No. 2/7/2012-NS-II]

RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 666(E), dated the 17th December, 1981, and subsequently amended *vide*: - G.S.R. 301(E), dated the 1st April, 1982, G.S.R. 258(E), dated the 11th March, 1983, G.S.R. 62(E), dated the 14th February, 1984, G.S.R. 95(E), dated the 7th February, 1986, G.S.R. 194(E), dated the 13th February, 1986, G.S.R. 363(E), dated the 1st April, 1987, G.S.R. 39(E), dated the 16th January, 1988, G.S.R. 458(E), dated the 15th April, 1988, G.S.R. 708(E), dated the 21st July, 1989, G.S.R. 16(E), dated the 9th January, 1990, G.S.R. 190(E), dated the 27th March, 1991, G.S.R. 579(E), dated the 12th September, 1991, G.S.R. 918(E), dated the 11th December, 1992, G.S.R. 42(E), dated the 1st February, 1993, G.S.R. 587(E), dated the 2nd September, 1993, G.S.R. 2(E), dated the 1st January, 1999, G.S.R. 748(E), dated the 4th November, 1999, G.S.R. 44(E), dated the 15th January, 2000, G.S.R. 152(E), dated the 1st March, 2001, G.S.R. 160(E) dated the 1st March, 2002, G.S.R. 514(E), dated the 23rd July, 2002, G.S.R. 662(E), dated the 23rd September, 2002, G.S.R. 175(E), dated the 1st March, 2003, G.S.R. 588(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 838(E), dated the 27th December, 2004, G.S.R. 480(E), dated the 26th June, 2008, G.S.R. 740(E), dated the 4th October, 2011, G.S.R. 843(E) dated the 25th November, 2011, G.S.R. 320 (E), dated the 25th April, 2012 and G.S.R.398(E), dated the 25th June 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2014

सा.का.नि. 222(अ).—केंद्रीय सरकार, डाकघर समय सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाकघर समय जमा नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर समय जमा (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर समय जमा नियम, 1981 में,—

(i) नियम 6 के उप-नियम (3) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा:—

"(ग) कोर बैंककारी समाधान मंच पर कार्य करने वाले किसी डाकघर में किसी खाते में जमा पुनः संदाय के लिए शोध्य हो गया है तो खाता स्वतः ही परिपक्वता की अवधि की तारीख से उसी अवधि के लिए जिसके लिए प्रारंभ में खोला गया था नवीकृत कर दिया जाएगा और जमा नवीकरण की तारीख को लागू ब्याज की दर के लिए पात्र होगा।"

नियम 8 में,—

(क) खंड (क) का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (कक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा , अर्थात् :--

(कक) किसी 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष के खाते में किसी जमा को जमा की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के अवसान से पूर्व परिपक्वता से पहले निकाल लिया जाता है तो डाकघर बचत खाते पर समय-समय पर संदेय ब्याज की दर जमाकर्ता को लागू होगी ।

[फा.सं. 2/7/2012-एनएस-II]

रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

टिप्पण - मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 664(अ), तारीख 17 दिसम्बर, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 300(अ), तारीख 1 अप्रैल, 1982, सा.का.नि. 257(अ), तारीख 11 मार्च, 1983, सा.का.नि. 502(अ), तारीख 9 जुलाई, 1984, सा.का.नि. 418(अ), तारीख 10 मई, 1985, सा.का.नि. 193(अ), तारीख 12 फरवरी, 1986, सा.का.नि. 362(अ), तारीख 1 अप्रैल, 1987, सा.का.नि. 1005(अ), तारीख 23 दिसंबर, 1987, सा.का.नि. 353(अ), तारीख 18 मार्च, 1988, सा.का.नि. 507(अ), तारीख 23 मई, 1990, सा.का.नि. 191 (अ), तारीख 27 मार्च, 1991, सा.का.नि., 580(अ), तारीख 12 सितंबर, 1991, सा.का.नि. 727(अ), तारीख 6 दिसंबर, 1991, सा.का.नि. 431(अ), तारीख 24 अप्रैल, 1992, सा.का.नि. 586(अ), तारीख 2 सितंबर, 1993, सा.का.नि. 118(अ), तारीख 8 मार्च, 1995, सा.का.नि. 5(अ), तारीख 1 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 43(अ), तारीख 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 151(अ), तारीख 1 मार्च, 2001, सा.का.नि. 159(अ), तारीख 1 मार्च, 2002; सा.का.नि. 174(अ), तारीख 1 मार्च, 2003, सा.का.नि. 589 (अ), तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 286(अ), तारीख 13 मई, 2005, सा.का.नि. 479(अ), तारीख 26 जून, 2008, सा.का.नि. 742(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2011, सा.का.नि. 846(अ), तारीख 25 नवंबर, 2008, सा.का.नि. 742(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2011, सा.का.नि. 846(अ), तारीख 25 नवंबर, 2011, सा.का.नि. 323(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2012 और सा.का.नि. 400(अ), तारीख 25 जून, 2013 द्वारा किए गए ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2014

G.S.R. 222(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Time Deposit Rules, 1981, namely:—

1. (1) These rules may be called the Post Office Time Deposit (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Post Office Time Deposit Rules, 1981,—

(i) in Rule 6, sub-rule (3), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

“(c) where a deposit in an account standing at the post office working on Core Banking platform become due for repayment, the account shall be automatically renewed from the date of maturity for the same period for which it was opened initially and the deposit shall be eligible for rate of interest applicable on the date of renewal.”

in rule 8,—

(a) clause (a) shall be omitted;

(b) for clause (aa), the following clause shall be substituted, namely:—

(aa) Where a deposit in 1-year, 2-year, 3-year or 5-year account is withdrawn prematurely before the expiry of 1 year from date of deposit, interest at the rate applicable to post office savings account from time to time shall be payable to the depositor."

F. No. 2/7/2012/NS-II]

RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published *vide* G.S.R. 664(E), dated the 17th December, 1981, and subsequently amended *vide*: - G.S.R. 300(E), dated the 1st April, 1982, G.S.R. 257(E), dated the 11th March, 1983, G.S.R. 502(E), dated the 9th July, 1984, G.S.R. 418(E), dated the 10th May, 1985, G.S.R. 193(E), dated the 12th February, 1986, G.S.R. 362(E), dated the 1st April, 1987, G.S.R. 1005(E), dated the 23rd December, 1987, G.S.R. 353(E), dated the 18th March, 1988, G.S.R. 507(E), dated the 23rd May, 1990, G.S.R. 191(E), dated the 27th March, 1991, G.S.R. 580(E), dated the 12th September, 1991, G.S.R. 727(E), dated the 6th December, 1991, G.S.R. 431(E), dated the 24th April, 1992, G.S.R. 586(E), dated the 2nd September, 1993, G.S.R. 118(E), dated the 8th March, 1995, G.S.R. 5(E), dated the 1st January, 1999, G.S.R. 43(E), dated the 15th January, 2000, G.S.R. 151(E), dated the 1st March, 2001, G.S.R. 159(E), dated the 1st March, 2002, G.S.R. 174(E), dated the 1st March, 2003, G.S.R. 589(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 286(E), dated the 13th May, 2005, G.S.R. 479(E), dated the 26th June, 2008, G.S.R. 742(E), dated the 4th October, 2011, G.S.R. 846(E), dated the 25th November, 2011, G.S.R.323 (E), dated the 25th April, 2012 and G.S.R. 400 (E) dated the 25th June, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2014

सा.का.नि. 223(अ).—केंद्रीय सरकार, डाकघर समय सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाकघर मासिक आय खाता नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर मासिक आय खाता (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर मासिक आय खाता नियम, 1987 में,-

(i) नियम 6 का लोप किया जाएगा:—

नियम 8 के उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् :—

परंतु कोर बैंककारी समाधान मंच पर कार्य करने वाले डाकघर में किसी खाते के होने की दशा में और यदि प्राधिकृत किया जाता है तो मासिक संदत्त व्याज को ऐसे डाकघर या किसी बैंक की शाखा में जमाकर्ता के बचत खाते में जमा कर दिया जाएगा।"

[फा. सं. 2/7/2012-एनएस-II]

रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

टिप्पण - मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं.701(अ) तारीख 10 अगस्त, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 805(अ), तारीख 21 जुलाई, 1988, सा.का.नि. 46(अ), तारीख 20 जनवरी, 1989, सा.का.नि. 581(अ), तारीख 12 सितंबर, 1991, सा.का.नि. 430(अ), तारीख 24 अप्रैल, 1992, सा.का.नि. 390(अ), तारीख 29 अप्रैल, 1993, सा.का.नि. 585(अ), तारीख 2 सितंबर, 1993, सा.का.नि. 5(अ), तारीख 1 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 45 (अ) तारीख 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 80 (अ) तारीख 1 फरवरी, 2000, सा.का.नि. 613(अ) तारीख 18 जुलाई, 2000; सा.का.नि. 153(अ) तारीख 1 मार्च, 2001, सा.का.नि. 161 (अ)

तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 350(अ), तारीख 10 मई, 2002, सा.का.नि. 176(अ), तारीख 1 मार्च, 2003, सा.का.नि. 758(अ), तारीख 23 सितंबर, 2003, सा.का.नि. 288(अ), तारीख 13 मई, 2005 सा.का.नि. 59(अ), तारीख 10 फरवरी, 2006, सा.का.नि. 521(अ), तारीख 1 अगस्त, 2007, सा.का.नि. 763(अ), तारीख 8 दिसंबर, 2007 सा.का.नि. 741(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2011 सा.का.नि. 845(अ), तारीख 25 नवंबर, 2011 और सा.का.नि. 322(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2012 और सा.का.नि. 399(अ), तारीख 25 जून, 2013 द्वारा किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2014

G.S.R. 223(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Monthly Income Account Rules, 1987, namely:—

1. (1) These rules may be called the Post Office Monthly Income Account (Amendment) Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In Post Office Monthly Income Account Rules, 1987,
 - (i) rule 6 shall be omitted.
 - (ii) in rule 8, in sub-rule (3), the following proviso should be inserted namely:—
“Provided that in case the account stands at the post office working on Core Banking platform and if so authorised, interest payable monthly shall be credited by the post office in the savings account of the depositor standing at any such post office or any branch of a bank.”

[F. No. 2/7/2012/NS-II]

RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published vide *G.S.R. 701(E)*, dated the 10th August, 1987, and subsequently amended *vide* : - *G.S.R. 805(E)*, dated the 21st July, 1988, *G.S.R. 46(E)*, dated the 20th January, 1989, *G.S.R. 581(E)*, dated the 12th September, 1991, *G.S.R. 430(E)*, dated the 24th April, 1992, *G.S.R. 390(E)*, dated the 29th April, 1993, *G.S.R. 585(E)*, dated the 2nd September, 1993, *G.S.R. 5(E)*, dated the 1st January, 1999, *G.S.R. 45(E)*, dated the 15th January, 2000, *G.S.R. 80(E)*, dated the 1st February, 2000, *G.S.R. 613(E)*, dated the 18th July, 2000, *G.S.R. 153(E)*, dated the 1st March, 2001, *G.S.R. 161(E)*, dated the 1st March, 2002, *G.S.R. 350(E)*, dated the 10th May, 2002, *G.S.R. 176(E)*, dated the 1st March, 2003, *G.S.R. 758(E)*, dated the 23rd September, 2003, *G.S.R. 288(E)*, dated the 13th May, 2005, *G.S.R. 59(E)*, dated the 10th February, 2006, *G.S.R. 521(E)*, dated the 1st August, 2007, *G.S.R. 763(E)*, dated the 8th December, 2007, *G.S.R. 741(E)*, dated the 4th October, 2011, *G.S.R. 845(E)*, dated the 25th November, 2011, *G.S.R. 322(E)*, dated the 25th April, 2012 and *G.S.R. 399 (E)*, dated the 25th June, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2014

सा.का.नि. 224(अ).—केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004 में,-

(क) नियम 5 के उपनियम (i) में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(i) “(क) नकद में, यदि जमा की रकम एक लाख रुपये तक है;

“(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा :--

“(ग) किसी इलेक्ट्रानिकी ढंग द्वारा यदि खाता कोर बैंककारी समाधान मंच पर कार्य करने वाले जमा कार्यालय में खोला गया है।”

(ख) नियम 7 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा , अर्थात् :--

(i) 7 (2) "ब्याज यथास्थिति जमा की तारीख से 31 मार्च/30, जून/30, सितंबर/31 दिसंबर को पहले अवसर पर अप्रैल/जुलाई/अक्तूबर/जनवरी के पहले कार्य दिवस को संदेय होगा और तत्पश्चात् ब्याज अप्रैल/जुलाई/अक्तूबर/जनवरी के पहले कार्य दिवस को संदेय होगा।

(ii) उपनियम (4) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु कोर बैंककारी मंच पर कार्य करने वाले जमा कार्यालय में नियम (2) में विनिर्दिष्ट शोध्य तारीखों को कोई ब्याज संदेय है तो उसे जमा कार्यालय द्वारा जमाकर्ता के किसी ऐसे जमा कार्यालय या बैंक की किसी शाखा में बचत खाते में जमा कर दिया जाएगा।"

[फा. सं. 2/7/2012/एनएस-II]

रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

टिप्पण - वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004 भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 490(अ) तारीख 2 अगस्त, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 706(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2004, सा.का.नि. सं. 176(अ), तारीख 23 मार्च, 2006, और सा.का.नि. सं. 390(अ), तारीख 24 मई, 2007, सा.का.नि. सं. 639(अ), तारीख 28 जुलाई, 2010, सा.का.नि. सं. 770(अ), तारीख 19 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. सं. 321(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2012, और सा.का.नि. सं. 402(अ), तारीख 25 जून, 2013, द्वारा संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, 13th March, 2014

G.S.R. 224(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004, namely:—

1. (1) These rules may be called the Senior Citizen Savings Scheme (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Senior Citizen Savings Scheme Rules, 2004 —

(a) in rule 5, in sub-rule (i), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely"—

(i) “(a) In cash, if the amount of deposit is up to rupees one lakh;

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted namely:—

“(c) by any electronic mode if the account is opened in a deposit office working on Core Banking Solution platform.”

(b) In rule 7 for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

(i) 7 (2) “Interest shall be payable from the date of deposit to 31st March/30th, June/30th, September/31st December on 1st working day of April/July/October/January as the case may be, in the first instance and thereafter, interest shall be payable on 1st working day of April/July/October/January.

(ii) in sub-rule (4), the following proviso shall be inserted namely:—

“Provided that where deposit office is working on Core Banking platform, interest payable on due dates as specified in rule (2), shall be credited by the deposit office in the savings account of the depositor standing at any such deposit office or any branch of a bank.”

[F. No. 2/7/2012/NS-II]

RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.

Note : The Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004 were published in the Gazette of India (Extraordinary) vide notification number G. S. R. 490(E), dated the 2nd August, 2004 and subsequently amended vide G.S.R. 706(E), dated the 27th October, 2004, G.S.R 176(E), dated the 23rd March, 2006, G.S.R. 390(E), dated the 24th May 2007, G.S.R. 639 (E), dated the 28th July, 2010, G.S.R. 770(E), dated the 19th October, 2011, G.S.R. 321(E) dated the 25th April 2012 and G.S.R. 402 (E), dated the 25th June 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2014

सा.का.नि. 225(अ).—केंद्रीय सरकार, लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1868 का 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक भविष्य निधि स्कीम (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लोक भविष्य निधि स्कीम के पैरा 4 के उप पैरा (1), (2), (3), और (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

" 4 (1) प्रत्येक व्यक्ति जो पहली बार स्वयं या किसी अवयस्क के लिए जिसका वह संरक्षक है स्कीम के अधीन निधि में प्रतिदाय का इच्छुक है प्रारंभिक अंशदान जो कम से कम 100 रुपये होगा के साथ प्ररूप क में लेखा कार्यालय को आवेदन करेगा

(2) उपपैरा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर लेखा कार्यालय अंशदाता के नाम से एक खाता खोलेगा और उसे एक पास बुक जारी करेगा जिसमें जमा, निकासी, ऋण और पुनः अदायगी पर शोध्य ऋण के साथ सभी रकमों को लेखा अधिकारी के तारीख की मुहर के साथ हस्ताक्षर होंगे :

परंतु कोर बैंककारी समाधान मंच पर कार्य करने वाले डाकघर की दशा में लेखा अधिकारी के विवेक पर पासबुक के स्थान पर लेखे का एक विवरण जारी किया जाएगा।

(3) अंशदाता अपने अंशदान को प्ररूप (ख) में चालान के साथ या उसके समीप यथा संभव लेखा अधिकारी के पास जमा करेगा और चालान का प्रतिपरण लेखा अधिकारी द्वारा पावती के साक्ष्य के साथ जमाकर्ता को वापस कर दिया जाएगा। चैक, ड्राफ्ट या पे-ऑर्डर द्वारा जमा की दशा में, लेखा अधिकारी आगतों की प्राप्ति के लंबन के दौरान पेपर टोकन जारी करेगा।

(4) प्रत्येक अंशदान लेखा अधिकारी के पक्ष में उस स्थान में जहां कार्यालय अवस्थित है, नकद, या क्रास किए गए चैक या ड्राफ्ट या पे-ऑर्डर द्वारा किया जाएगा:

" परंतु जहां लेखा कार्यालय कोर बैंककारी मंच पर कार्य करता है तो प्रत्येक अंशदान किसी कोर बैंककारी समाधान मंच पर कार्य करने वाले लेखा कार्यालय में नकद, चैक, ड्राफ्ट, पे-ऑर्डर या किसी इलेक्ट्रॉनिक ढंग से किया जाएगा। "

[फा.सं. 2/7/2012/एनएस-II]

रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

टिप्पण – मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. सं. 48(अ) तारीख 15 जनवरी, 2000 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् का.आ. 192(अ), तारीख 1 मार्च, 2001, का.आ. 271(अ), तारीख 1 मार्च, 2002, का.आ. 250(अ), तारीख 1 मार्च, 2003, का.आ. 2681(अ), तारीख 25 नवंबर, 2011, का.आ. 904(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2012 और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 401(अ), तारीख 25 जून, 2013 द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2014

G.S.R. 225(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Provident Fund Act, 1968 (23 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Public Provident Fund Scheme 1968, namely:-

1. (1) These rules may be called the Public Provident Fund Scheme (Amendment) Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In Public Provident Fund Scheme in paragraph 4, for sub-paragraph (1), (2), (3) and (4) the following shall be substituted, namely:-

“4. (1) Every individual desirous of subscribing to Fund under the Scheme for the first time either on his own or on behalf of a minor of whom he is the guardian shall apply to the Accounts Office in Form A form, together with the amount of initial subscription which shall be minimum of Rs.100.

(2) On receipt of an application under sub-paragraph (1), the Accounts Office shall open an account in the name of the subscriber and issue a passbook to him, wherein all amount of deposits, withdrawals, loans and repayment thereof together with interest due shall be entered over the signature of the Accounts Officer with the date stamp.

Provided that in case of Post Offices working on Core Banking solution platform, a statement of account shall be issued in place of passbook at the discretion of account holder.

(3) The subscriber shall deposit his subscription with the Accounts Office with challan in Form B, or as near thereto as possible and the counterfoil of the challan shall be returned to the depositor by the Accounts Office, duly evidenced by receipt. And in case of deposits made by cheque or draft or pay order, the Accounts Office may issue a paper token to the depositor pending realization of the proceeds.

(4) Every subscription shall be made in cash or crossed cheque or draft or pay order in favour of the Accounts Office at the place at which that office is situated.

“Provided that where the Account office is working on Core Banking platform, every subscription shall be made either by cash, cheque, draft, pay orders or any electronic mode in any Account office working on Core Banking Solution Platform.”

[F. No. 2/7/2012-NS-II]

RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.

Note :- The Principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 48(E), dated the 15th January, 2000 and subsequently amended vide S.O. 192(E), dated the 1st March 2001, S.O. 271(E), dated the 1st March, 2002, S.O. 250(E), dated the 1st March, 2003, S.O. 2681(E), dated the 25th November, 2011, S.O. 904(E), dated the 25th April 2012. And G.S.R. 401(E), dated the 25th June, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2014

सा.का.नि. 226(अ).—केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत प्रमाण पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवां निर्गम), 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवां निर्गम) (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवां निर्गम), नियम 1989 में, -

(i) नियम 7 के खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(v) कोर बैंककारी समाधान मंच पर कार्य करने वाले डाकघर से क्रय किए गए प्रमाण पत्रों की दशा में किसी इलेक्ट्रानिकी ढंग द्वारा।"

(4) अंतरण के प्रत्येक मामले में, पूर्ववर्ती धारक के नाम को एक गोले से घेर दिया जाएगा और नए धारक का नाम प्राधिकृत डाकपाल के तारीख सहित हस्ताक्षर के साथ उसके पदनाम और डाकघर की तारीख की मुहर सहित लिखा जाएगा।"

(ii) उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(5) प्रमाण पत्र का अंतरण केवल एक बार उसके निर्गम की तारीख से उसके उन्मोचन की तारीख तक अनुज्ञात किया जाएगा।"

(iii) नियम 23 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 2/7/2012-एनएस-II]

रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम सा.का.नि. 496(अ), तारीख 1 मई, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्पूर्वी संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए :- सा.का.नि. 508(अ), तारीख 23 मई, 1990, सा.का.नि. 120(अ), तारीख 8 मार्च, 1998, सा.का.नि. 7(अ), तारीख 1 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 491(अ), तारीख 6 जुलाई, 1999, सा.का.नि. 47 (अ), तारीख 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 156(अ), तारीख 1 मार्च, 2001, सा.का.नि. 572(अ), तारीख 2 अगस्त, 2001, सा.का.नि. 163(अ), तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 711(अ), तारीख 17 अक्तूबर, 2002, सा.का.नि. 179(अ), तारीख 1 मार्च, 2003, सा.का.नि. 590(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 591(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 820(अ), तारीख 16 अक्तूबर, 2003, सा.का.नि. 289(अ), तारीख 13 मई, 2005, सा.का.नि. 744(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. 842(अ), तारीख 25 नवंबर, 2011, सा.का.नि. 318(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2013, और सा.का.नि. 397(अ), तारीख 25 जून, 2013 द्वारा किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2014

G.S.R 226(E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend National Savings Certificates (VIII Issue), 1989 namely:—

1. (1) These rules may be called the National Savings Certificates (VIII Issue) (Amendment) Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In National Savings Certificates (VIII Issue) Rules -
 - (i) In rule 7, in clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:—

“(v) by any electronic mode in case of certificates are purchased from the post offices working on Core Banking Solution platform.”

(i) in rule 11, for sub-rule(4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(4) In every case of transfer, name of previous holder shall be rounded and name of new holder shall be written under the dated signature of the authorized Postmaster along with his designation and date stamp of the post office.”

(ii) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(5) Transfer of certificate shall be allowed only once from the date of issue to the date of discharge of the certificate.”

(iii) rule 23 shall be omitted.

[F. No. 2/7/2012-NS-II]

RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published vide G.S.R. 496(E), dated the 1st May, 1989 and subsequently amended vide G.S.R. 508(E), dated the 23rd May, 1990, G.S.R. 120(E), dated the 8th March, 1998, G.S.R. 7(E), dated the 1st January, 1999, G.S.R. 491(E), dated the 6th July, 1999, G.S.R. 47(E), dated the 15th January, 2000, G.S.R. 156(E), dated the 1st March, 2001, G.S.R. 572(E), dated the 2nd August, 2001, G.S.R. 163(E), dated the 1st March, 2002, G.S.R. 711(E), dated the 17th October, 2002, G.S.R. 179(E), dated the 1st March, 2003, G.S.R. 590(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 591(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 820(E), dated the 16th October, 2003, G.S.R. 289(E), dated the 13th May, 2005, G.S.R. 744(E), dated the 4th October, 2011, G.S.R. 842(E) dated the 25th November, 2011, G.S.R. 318(E), dated the 25th April, 2013 and G.S.R. 397(E), dated the 25th June 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 13 मार्च, 2014

सा.का.नि. 227(अ).—केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत प्रमाण पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (नौवां निर्गम), 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (नौवां निर्गम) (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (नौवां निर्गम), नियम में, -

(i) नियम 7 में निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(v) कोर बैंककारी समाधान मंच पर कार्य करने वाले डाकघर से क्रय किए गए प्रमाण पत्रों की दशा में किसी इलेक्ट्रॉनिकी ढंग द्वारा।"

(ii) नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9. पुराने प्रमाण पत्रों से आगम के स्थान पर प्रमाण पत्र :- पुराने प्रमाण पत्र के नकदीकरण के लिए हकदार कोई धारक इन नियमों के अधीन प्रमाण पत्र मंजूर करने के लिए प्ररूप 1 में आवेदन कर सकेगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर इन नियमों के अधीन आवेदक को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और प्रमाण पत्र के जारी करने की तारीख वह तारीख होगी जिसको पूर्णतया उन्मोचित करने के लिए पुराना प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

(iii) नियम 11 में,-

(क) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) अंतरण के प्रत्येक मामले में, पूर्ववर्ती धारक के नाम को एक गोले से घेर दिया जाएगा और नए धारक का नाम प्राधिकृत डाकपाल के तारीख सहित हस्ताक्षर के साथ उसके पदनाम और डाकघर की तारीख की मुहर सहित लिखा जाएगा।"

(ख) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(5) प्रमाण पत्र का अंतरण केवल एक बार उसके निर्गम की तारीख से उसके उन्मोचन की तारीख तक अनुज्ञात किया जाएगा।"

(iii) नियम 23 का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. 2/7/2012-एनएस-II]

रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम सा.का.नि. 848(अ), तारीख 29 नवंबर, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 319(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2012 और सा.का.नि. 403(अ), तारीख 25 जून, 2013 द्वारा संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2014

G.S.R. 227(E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings Certificates (IX Issue), 2011 namely:-

1. (1) These rules may be called the National Savings Certificates (IX Issue) (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In National Savings Certificates (IX Issue) Rules -

(i) in rule 7, the following clause shall be inserted, namely:-

“(v) by any electronic mode in case of certificates are purchased from the post offices working on Core Banking Solution platform.”

(ii) for rule 9, the following rule shall be substituted, namely:-

“9. Certificate in lieu of proceeds of old certificates:- A holder of an old certificate entitled to encash that certificate may make an application in Form 1 for the grant of a certificate under these rules, and on receipt of such an application, there shall be issued to the applicant a certificate under these rules and the date of issue of the certificate shall be the date on which the old certificate duly discharged is presented..

(iii) in rule 11,

(a) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(4) In every case of transfer, name of previous holder shall be rounded and name of a new holder shall be written under the signature and date of the authorised Postmaster along with his designation and date stamp of the post office.”

(b) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(5) Transfer of certificate shall be allowed only once from the date of issue to the date of discharge of the certificate”

(ii) rule 23 shall be omitted.

[F. No. 2/7/2012-NS-II]

RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.

Note:- The Principal rules were published *vide* G.S.R. 848(E), dated the 29th November, 2011 and subsequently amended *vide* G.S.R. 319(E), dated the 25th April, 2012 and G.S.R. 403(E), dated the 25th June, 2013.